IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक (राजाजीपुरम)
आफिस काम्पलेक्स, पंचम तल, वृन्दावन योजना,
लखनऊ.

भारतीय मानक ब्यूरो IS15700
मानकः पथप्रदर्शकः
Bureau of Indian Standards
SQMS

पत्र सं0– 1740 /स0प्र0रा0पु0 / दिनांक– 9-8-2017

आवश्यक सूचना

परिषद की गोकुल ग्राम योजना संख्या–प्रथम, (मुन्नू खेड़ा) लखनऊ में प्रधानमंत्री आवासीय योजना क्रेडिट लिंक सब्सिडी घटक के अन्तर्गत दिनांक 03, 04 एवं 17 व 18 जून–2017 को आयोजित मेले में दुर्बल आय वर्ग (जी+3) प्रकार के भवनों व अल्प आय वर्ग (जी+3) प्रकार के भवनों का आवंटन किया गया था, जिसमें दुर्बल आय वर्ग (जी+3) प्रकार के फ्लैटों का सुपर एरिया 38.38 वर्ग मी0 एवं कार्पेट एरिया 29.29 वर्ग मी0 तथा अल्प आय वर्ग (जी+3) प्रकार के फ्लैटों का सुपर एरिया 48.00 वर्ग मी0 एवं कार्पेट एरिया 37.80 वर्ग मी0 दर्शाया गया था।

अधीक्षण अभियन्ता (म0) द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1324/एक–14/119, दिनांक 27.06.2017 द्वारा दुर्बल आय वर्ग (जी+3) के फ्लैटों का सुपर एरिया 37.35 वर्ग मी0 बिल्ट अप एरिया 33.69 वर्ग मी0 व कार्पेट एरिया 28.63 वर्ग मी0 एवं अल्प आय वर्ग (जी+3) प्रकार के फ्लैटों का सुपर एरिया 47.38 वर्ग मी0 बिल्ट अप एरिया 43.18 वर्ग मी0 व कार्पेट एरिया 36.70 वर्ग मी0 से अवगत कराया गया है।

अतः अधीक्षण अभियन्ता (म0) द्वारा अवगत कराये गये क्षेत्रफल को ही पढ़ा जाये।

9.8.17

(नीरजा श्रीवास्तव)
सम्पत्ति प्रबन्धक

R.n